[2022] 1 एस. सी. आर. 428

गीता देवी

विरुद्ध

यू. पी. राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या क्रमांक 78/2022)

18 जनवरी, 2022

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 378- दोषमुक्ति होने के मामले में उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति- हस्तगत मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.स. की धारा 452, 323/34 और 325/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषसिद्ध पाते उन्हें भा.द.स. की धारा 354, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और 3(1)(xi) से दोषमुक्त किया गया - उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर समग्र साक्ष्य की विस्तृत पुनर्मूल्यांकन किए बिना पीड़ित की अपील को खारिज कर दिया-अपील करने पर पाया गया कि उच्च न्यायालय ने परीक्षित साक्षी के अभिसाक्ष्य पर सतही तौर से विचार करते हुए समग्र साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया - विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध, उच्च न्यायालय को, प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था - उच्च न्यायालय का आदेश अभिखंडित कर दिया गया है-प्रकरण उच्च न्यायालय को अपील नए सिरे से निराकरण हेतु प्रेषित किया गया।

अपील को स्वीकार कर मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित करते हुए न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया कि:-

यह वह तरीका नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाना चाहिए था जबकि यह दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रथम अपील है उच्च न्यायालय ने परीक्षित साक्षी के अभिसाक्ष्य पर केवल सतही तौर से विचार किया गया जबकि

समग्र साक्ष्य का विस्तृत रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा उक्त प्रक्रिया को उच्च न्याय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय और आदेश पर विचार करते समय अपनाना चाहिए था। प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। [कंडिका 6] [430-जी-एच; 431-ए-बी]

उमेदभाई जादवभाई वि. गुजरात राज्य **(1978) 1 एस. सी. सी. 228** : **[1978] 2 एस. सी. आर. 471;** गुरु दत्त पाठक वि. उत्तर प्रदेश राज्य **(2021) 6 एस. सी. सी. 116-का अवलंब लिया गया।**

निर्णयज विधि का संदर्भ

1978] 2 एससीआर 471 कंडिका 6 का अवलंब लिया गया
(2021) 6 एससीसी 116 कंडिका 6.1 का अवलंब लिया गया

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 78/2022
उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ के आपराधिक अपील क्रमांक 2356/2019 के निर्णय और आदेश दिनांकित 06.12.2019 से उद्भूत

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता टी. वी. जॉर्ज।
प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण आदर्श उपाध्याय, अमित सिंह, अमोल चित्रवंशी, मो. शाहिद अनवर, आर्यन पी. नंदा, मुश्ताक खान, इंतखाब आलम।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति एम. आर. शाह** द्वारा दिया गया

1. प्रस्तुत अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2356/2019 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपराध की पीड़ित द्वारा संस्थित उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जो विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.09.2019 के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी को भा.द.सा. की धारा 354, 504, 506,अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1 (x) और 3 (1)(xi) के तहत दोषमुक्ति कर दिया गया था, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान विशेष न्यायालय/विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323/34 और 325/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषसिद्ध पाते उन्हें भा.द.स. की धारा 354, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और 3(1)(xi) से दोषमुक्त किया गया पीड़ित द्वारा विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करते हुए घोषित निर्णय से व्यथित होकर आपराधिक अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और आलोच्य एक पृष्ठ/अनुच्छेद के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया, जो इस न्यायालय के समक्ष, अपील की विषय वस्तु होकर, विचाराधीन है।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टी. वी. जॉर्ज, राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श उपाध्याय, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 4/आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शाहिद अनवर को श्रवण किया गया।

4. सम्बंधित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेकों तर्क प्रस्तुत किया गए। हालांकि, नीचे बताए गए कारणों से हम मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित कर रहे है और इसलिए हम संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए तर्क पर विचार नहीं कर रहे है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टीपा-टिप्पणी अभियोजन या बचाव पक्ष को प्रभावित कर सकती है।

5. हमारे द्वारा पीड़ित-अपीलार्थी द्वारा संस्थित अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया गया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश एक पृष्ठ/अनुच्छेद आदेश है। कंडिका 3 में यह देखने के बाद कि "मैंने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय को ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है", उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन किए बिना कंडिका 4 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हुए अपील को खारिज कर दिया गया:-

> " 4. विचारण न्यायालय ने अ.सा. 2 के कथन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पाया है कि अ.सा. 2 की साक्ष्य पर भा.द.सा. की धारा 354,504,506 एवं एस

सी/एस टी अधिनियम की धारा 3(1)(x) और 3(1)(xi) के तहत अपराध के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है। अ.सा. 2 की साक्ष्य की कोई सम्पुष्टि पुष्टि तब नहीं है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं अ.सा. 2 की साक्ष्य संदिग्ध पायी है। विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और इसलिए, मैं इस अपील को सारहीन पाता हूं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

6. हम विवश होकर अवधारित करते हैं कि यह वह तरीका नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाना चाहिए था जबकि यह दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रथम अपील है उच्च न्यायालय ने परीक्षित साक्षी के अभिसाक्ष्य पर केवल सतही तौर से विचार किया गया जबकि समग्र साक्ष्य का विस्तृत रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा उक्त प्रक्रिया को उच्च न्याय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश पर विचार करते समय अपनाना चाहिए था। उच्च न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था क्योंकि वह प्रथम अपील पर विचार कर रहा था। प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी **उम्मेदभाई जादवभाई वि. गुजरात राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 228** के मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार एवं निर्णय करने के सम्बन्ध में रीति/प्रक्रिया को बताया गया हैं। इसमें यह अवधारित किया गया कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ग्राह्य किये जाने के बाद, उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से समग्र साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश के अभिमत को उचित महत्व देगा यदि उक्त अभिमत साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन से समर्थित है। विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से समग्र साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपने स्वयं के निष्कर्ष में यह अभिलिखित कर सकता है कि दोषमुक्ति विपर्यस्त और स्पष्ट रूप से गलत है।

6.1 धारा 378 द.प्र.सं. के तहत दोषमुक्ति किए जाने के विरुद्ध आपराधिक अपील पर कैसे विचार किया जाए, निर्णय लिया जाए और उसका निराकरण किया जाए, पर इस न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया है और पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा **गुरु दत्त पाठक वि. उत्तर प्रदेश राज्य,** (2021) 6 एस. सी. सी. 116 के

प्रकरण में कंडिका 15 से 20 में यह पाया गया हैः -

15. बाबू वी. केरल राज्य [बाबू वि. केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत दोषमुक्ति किए जाने के विरुद्ध अपील में अनुसरन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया है। कंडिका 12 से 19 में यह पाया और अवधारित किया गया हैः (एससीसी पेज 196-199)

" 12. इस न्यायालय ने समय समय पर उच्च न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति करने के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय न्यायालय को सामान्यतया ऐसे मामले में दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय को अपास्त नहीं करना चाहिए जहां दो निष्कर्ष संभव हों, जबकि अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष अधिक सम्भाव्य हो सकता है। दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष विपर्यस्त अथवा अन्यथा अस्थिर प्रकृति के थे। अपीलीय न्यायालय इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, विचारण न्यायालय ग्राह्य किये जाने योग्य साक्ष्य पर विचार करने में विफल रही थी और/अथवा विधि के विपरीत अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया था। इसी तरह, सबूत के भार का गलत निर्धारण भी अपीलीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच की विषय वस्तु हो सकती है। (बालक राम वि. यू. पी. राज्य [बालक राम वि. उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 219], शंभू मिसिर वि. बिहार राज्य [शंभू मिसिर वि. बिहार राज्य, (1990) 4 एस. सी. सी. 17], शैलेंद्र प्रताप वि. यू. पी. राज्य [शैलेंद्र प्रताप वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761], नरेंद्र सिंह वि. एमपी. राज्य [नरेंद्र सिंह वि. एम. पी. राज्य, (2004) 10 एस. सी. सी. 699], बुध सिंह वि. यू. पी. राज्य [बुध सिंह वि. उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 9 एस. सी. सी. 731], उत्तर प्रदेश राज्य वि. राम वीर सिंह [उत्तर प्रदेश राज्य वि. राम वीर सिंह, (2007) 13 एस. सी. सी. 102], एस. राम कृष्ण वि. एस. रामी रेड्डी [एस. राम कृष्ण वि. एस. रामी रेड्डी, (2008) 5 एससीसी 535], अरुलवेलु वि. राज्य [अरुलवेलु वि. राज्य, (2009) 10 एस. सी. सी. 206], पेरला सोमशेखर रेड्डी वि. एपी राज्य [पेरला सोमशेखर रेड्डी वि. ए. पी. राज्य (2009) 16 एस. सी. सी. 98] और राम सिंह वि. एच. पी. राज्य [राम सिंह वि. हिमाचल प्रदेश राज्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 445)।

13. शिव स्वरूप वि. किंग एम्परर [शिव स्वरूप वि. किंग एम्परर, 1934 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 42], प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नानुसार पाया गया: (एस. सी. सी. ऑनलाइन पीसी)

..... उच्च न्यायालय को हमेशा निम्न विधि को विचार में लेते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए (1) साक्षी की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष (2) आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की ऐसी उपधारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर होने नहीं मानी जा सकती कि उसे विचारण के उपरांत दोषमुक्त किया जा चुका है (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश, जिसे साक्षियों को देखने का लाभ था, द्वारा पाए गए तथ्य के निष्कर्ष के सम्बन्ध में एक अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप करने की कम से कम प्रवृति।

14. इस न्यायालय द्वारा विधि के उपरोक्त सिद्धांत का एकमत होकर पालन किया गया है। (तुलसीराम कानू वि. राज्य [तुलसीराम कानू वि. राज्य, ए. आई. आर. 1954 एससी 1: 1954 क्रिमिनल एल. जे. 225], बलबीर सिंह वि. पंजाब राज्य [बलबीर सिंह वि. पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1957 एस. सी. 216: 1957 क्रिमिनल एल. जे. 481], एम. जी. अग्रवाल वि. महाराष्ट्र राज्य [एम. जी. अग्रवाल वि. महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1963 एससी 200 : (1963) 1 क्रिमिनल एलजे 235], खेडू मोहटन वि. बिहार राज्य [खेडू मोहटन वि. बिहार राज्य, (1970) 2 एससीसी 450: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 479], सम्बाशिवन वि. केरल राज्य [सम्बाशिवन वि. केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412: 1998 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1320], भगवान सिंह वि.एमपी. राज्य [भगवान सिंह वि. एम. पी. राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 85: 2002 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 736] और गोवा राज्य वि. संजय ठकरन [गोवा राज्य वि. संजय ठाकरन, (2007) 3 एस. सी. सी. 755: (2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 162 को देखे]।

15. चंद्रप्पा वि. कर्नाटक राज्य [चंद्रप्पा] वी. कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एस. सी. सी. 415], में इस न्यायालय ने विधिक स्थिति को निम्नानुसार दोहराया गया है:- (एस. सी. सी पेज 432, कंडिका 42)

‘42 . ..... (1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित

है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्य पर तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "सारवान और ठोस कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विपर्यस्त निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति किए जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस तरह के शब्द रचना और भाषा का प्रयोग करने का उद्देश्य साक्ष्य का पुनर्विलोकन करते हुए अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की न्यायालय की शक्ति को कम करने की अपेक्षा दोषमुक्ति करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा को बताना है।

(4) फिर भी एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि -दोषमुक्ति होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है। सबसे पहले,आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसे निर्दोष होने की यह उपधारणा प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाता है। दूसरा, अभियुक्त के दोषमुक्ति होने के बाद, विचारण न्यायालय उसके निर्दोष होने की उपधारणा को और अधिक मजबूत करते हुए उसकी पुष्टि कर उसे अधिक प्रबल बनाती है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पाए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

16. घुरे लाल वि. यू. पी. राज्य [घुरेलाल वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450: (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60], इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि जिन मामलों में विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है, उन पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व इस कारण देना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय को साक्षियों की भाव भंगिमा को देखते हुए विशिष्ट अवसर प्राप्त था और वह साक्षियों की विश्वसनीयता

का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

17. राजस्थान राज्य वि. नरेश [राज्य राजस्थान वि. नरेश, (2009) 9 एससीसी 368: (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1069], में न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों को विचार में लेते हुए यह निर्धारित किया किः (एस. सी. सी पेज 374, कंडिका 20)

'20 ..... दोषमुक्ति किए जाने के आदेश में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही न्यायालय को समाधान हो कि अभियुक्त की ओर संदेह उत्पन्न करते कुछ साक्ष्य हैं।"।

18. यू. पी. राज्य वि. बन्ने [यू. पी. राज्य वि. बैन्ने, (2009) 4 एससीसी 271: (2009) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 260], इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ बतायी है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित पाया है।

उक्त परिस्थितियों में निम्न समाहित हैंः (बन्नी मामला [यू. पी. राज्य वि. बैन्ने, (2009) 4 एस. सी. सी. 271: (2009) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 260], एस. सी. सी पी. 286 , कंडिका 28)

‘28 . … .....(i) उच्च न्यायालय का निर्णय स्थापित विधिक स्थिति की अनदेखी करके विधि के पूरी तरह से गलत निर्वचन पर आधारित है;
(ii) उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विपरीत है।
(iii) उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर विचार करते हुए अवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया गया जिससे घोर अन्याय होता है।
(iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो मामले के अभिलेख पर त्रुटिपूर्ण विधि और तथ्यों पर आधारित है;
(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करते हुए उन्हें उचित महत्व देना चाहिए।
(vi) यह न्यायालय ऐसे मामले में जबकि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दोषमुक्ति करने का आदेश दिया गया है, हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा।

'धनपाल वि. राज्य [धनपाल वि. राज्य, (2009) 10 एससीसी 401: (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 336] में इस न्यायालय द्वारा समान तरह के सिद्दांत को दोहराया गया है।

19. इस प्रकार, इस विषय पर विधि को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि अपवादात्मक मामलों में जहां परिस्थितियां बाध्यकारी हैं और अपीलाधीन निर्णय विपर्यस्त पाया जाता है, अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। अपीलीय न्यायालय को निर्दोष होने उपधारणा के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा की गयी दोषमुक्ति आरोपी के निर्दोष होने की उपधारणा को प्रबल बनता है। यांत्रिक रूप से हस्तक्षेप, जबकि दूसरा दृष्टिकोण संभव है, से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

16. पूर्वोक्त निर्णय के कंडिका 20 में विचार किया गया है कि कब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विपर्यस्त माना जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः (बाबू मामला [बाबू वि. ।केरल का भोजन, (2010) 9 एस. सी. सी. 189: (2010) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1179], सी. सी पी. 199)

" 20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विपर्यस्त तब माना जा सकता है यदि उक्त निष्कर्ष सुसंगत सामग्री की अनदेखी या अपवर्जित करके या असंगत/अग्राह्य सामग्री पर विचार करते हुए प्राप्त किए गए हैं। निष्कर्ष को विपर्यस्त उस समय भी कहा जा सकता है यदि यह साक्ष्य के विपरीत है, या यदि निष्कर्ष स्पष्ट से अतार्किक होकर अविवेक से दूषित हो।(राजिंदर कुमार किंड्रा वि. दिल्ली एडमिन। [राजिंदर कुमार किंद्र वि. दिल्ली प्रशासन।, (1984) 4 एससीसी 635: 1985 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 131], उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी सह-निर्धारण प्राधिकरण वि. गोपी नाथ एंड संस [एक्साइज एंड सन्स] कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण v. गोपी नाथ और सन्स, 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312], त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक वि. सी. सी. ई. [त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक वि. सी. सी. ई., 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 665], गया दिन वि. हनुमान प्रसाद [गया] 1 एस. सी. आर. दीन वि. हनुमान प्रसाद, (2001) 1 एस. सी. सी. 501], अरुलवेलु वि. राज्य [अरुलवेलु वि. राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 288] और गामिनी बाला कोटेश्वर राव वि. एपी. [गामिनी बाला

कोटेश्वर राव वि. ए. पी. राज्य, (2009) 10 एससीसी 636: (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 372] "

इस न्यायालय का कुलदीप सिंह वि. कमीश्नर पुलिस [कुलदीप] सिंह वि. कमीश्नर पुलिस विभाग, (1999) 2 एस. सी. सी. 10: 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 429], में पारित निर्णय का अनुसरण करते हुए आगे यह पाया जाता है,कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है कि कोई युक्तियुक्त व्यक्ति उसे विचार में नहीं लेगा, आदेश विपर्यस्त होगा। लेकिन अगर अभिलेख पर कुछ साक्ष्य हैं जो ग्राह्य योग्य होकर विचार के लिए जा सकते है, तो निष्कर्षों को विपर्यस्त नहीं माना जाएगा। और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

17. विजय मोहन सिंह वि. राज्य © कर्नाटक [विजय मोहन सिंह वि. कर्नाटक राज्य, 019) 5 एससीसी 436: (2019) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 586], के मामले में इस न्यायालय को फिर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के क्षेत्र और दोषमुक्ति किए जाने के विरुद्ध एक अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के प्रश्न पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय द्वारा 1952 से निर्णीत पूर्वोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए कंडिका 31 में, निम्नानुसार यह पाया और अवधारित किया : (विजय मोहन सिंह मामला, एस. सी. सी. पेज 447-49)

" 31. उमेदभाई जादवभाई [उमेदभाई जादवभाई वि. गुजरात राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 228: 1978 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 108] के मामले में समान प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु उद्भूत हुआ। उक्त मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप किया किन्तु उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय को अपास्त करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्ति करते समय दिए गए कारण पर विचार नहीं किया उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने कंडिका 10 में निम्नलिखित रूप में यह पाया और अवधारित किया कि (एस. सी. सी पेज 233)

'10 :-एक बार जब दोषमुक्ति किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवायी करते समय उच्च न्यायालय स्वंत्रत रूप से समग्र साक्ष्य का

पुनर्मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाल सकता है सामान्यतः उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश के अभिमत को महत्व देगा यदि उक्त अभिमत साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के बाद निकाला गया है। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही सारवान और निर्णायक पहलू की एकदम गलत धारणा बनाई है।

31.1 . सम्बाशिवन वि. । केरल राज्य [सम्बाशिवन वि. केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412: 1998 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1320], उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति किए जाने के आदेश को अपास्त कर दिया और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। किन्तु, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दिया कि क्या विद्वान विचारण द्वारा साक्ष्य पर विचार करने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अवैधानिक थी अथवा उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नही थे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय को अपास्त करने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति किए जाने का आदेश विपर्यस्त होकर त्रुटियों से दूषित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने कंडिका 8 में निम्नानुसार पाया है:- (एस. सी. सी पेज 416)

' 8. हमने अपील के तहत दिए गए निर्णय का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया है कि क्या उच्च न्यायालय ने उपरोक्त विधि के सिद्धांतों का पालन किया है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबूलाल दोशी वि. गुजरात राज्य [रमेश बाबूलाल दोशी वि. गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225: 1996 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 972]। मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से प्रकरण की सुनवाई नहीं की है पहले इस सवाल पर अपना निष्कर्ष निकाले कि क्या विद्वान विचारण द्वारा साक्ष्य पर विचार करने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अवैधानिक थी अथवा उसके द्वारा निकाले

गए निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नही थे, जिसके आधार पर ही दोषमुक्ति करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाई गई सभी तर्कों पर विधिवत विचार करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है। लेकिन क्या मात्र इस उल्लंघन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करना उचित होगा? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, जो एक अपीलीय न्यायालय का निर्णय जिसने आदेश को उलट दिया है, की वैधता पर विचार कर रहा है, न्यायालय के दृष्टिकोण, यह समाधान आवश्यक है की क्या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य को विचार में लेने के लिए ऐसी प्रकिया अपनायी जोकि स्पष्ट रूप से अवैधानिक थी अथवा क्या इसके द्वारा निकले गए निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य है और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय उपरोक्त त्रुटियों से मुक्त है यदि ऐसा समाधान हो जाता है तो विचारण न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाये। लेकिन अगर दूसरी तरफ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विचारण न्यायालय का निर्णय किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रहा जा सकता है कि दोषमुक्ति के आदेश में अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तब ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय को, दो युक्तियुक्त अभिमत में से दोषमुक्ति के समर्थन के अभिमत को अधिमान्यता देते हुए, अपास्त किया जाना चाहिए उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में विचारण न्यायालयके निर्णय की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

31.2 . के. रामकृष्णन उन्नीथन वि. केरल [के. रामकृष्णन उन्नीथन वि. केरल राज्य, (1999) 3 एससीसी 309: 1999 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 410], यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल होना दर्शित है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्ति करने के आदेश में वर्णित सभी कारणों पर विचार नहीं किया, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त करने से इनकार इस आधार पर किया कि दोषमुक्ति करने का आदेश पारित करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर

निकाला गया निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश द्वारा, अभियुक्त को दोषमुक्ति करते समय, सुसंगत/महत्वपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त कारण उचित नहीं था, इसलिए, उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन करने और अपना निष्कर्ष निकालने का अधिकार प्राप्त था। इस न्यायालय द्वारा चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया गया और इस न्यायालय के अभिमत में चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण ठोस नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा किये गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3 . एटली वि. यू. पी. राज्य [एटली वि. । उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1955 एस. सी. 807: 1955 क्रिमिनल एल. जे. 1653], कंडिका 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित कियाः (ए आई आर पेज 809-10)
'5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय दोषमुक्ति करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के केवल मूल्यांकन पर इसे तब तक अपास्त नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि विचारण न्यायालय के न्यायाधीश का निर्णय विपर्यस्त था। हमारी राय में यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि अपील के तहत दोषमुक्ति करने का निर्णय विपर्यस्त था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती थी।

इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता है कि अपील पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य का पुनर्विलोकन करे तथा यह विचार करते हुए कि विचारण न्यायालय, जिसके समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध होते हुए जिसे साक्षी की भाव भंगिमा को देखने का अवसर था, द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से आरोपी की निर्दोषता की उपधारणा कमजोर न होकर और बलवती हो जाती है, अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे।

यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर साक्ष्य के मूल्याङ्कन के सम्बन्ध में दोष्सिधि के विरुद्ध अपील के समान विस्तृत शक्तियां इस बंधन के अध्यधीन प्राप्त है की निर्दोषिता की उप्धारना विचरण के प्रारंभ से लेकर अपील के स्टार तक बनी रहती है तथा अपीलीय न्यायालय विचरण न्यायालय के दोषमुक्ति करने वाले अभिमत को महता देनी चाहिए।

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुचती है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार की ओर से उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह वि. राज्य [सूरजपाल सिंह वि. राज्य, 1951 एससीसी 1207]; विलायत खान वि. यू. पी. राज्य [विलायत खान वि. उत्तर प्रदेश राज्य, 1951 एस. सी. सी. 898]) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय समग्र साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं था।

31.4 . के. गोपाल रेड्डी वि. एपी राज्य [के. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य, (1979) 1 एससीसी 355: 1979 एससीसी (सीआरआई) 305], इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि जब विचरण न्यायालय स्वयं को काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ विश्वसनीय साक्ष्य को तुच्छ कारणों के लिए अस्वीकार कर साक्ष्य के सम्बन्ध में ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो बहुत असम्भाव्य है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय का शासन हास्यप्रद बन कर रह जाये। ”

18. उमेदभाई जादवभाई [उमेदभाई जादवभाई वि. गुजरात, (1978) 1 एस. सी. सी. 228: 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 108], में कंडिका 10 में, यह निम्नलिखित पाया और अवधारित किया गयाः (एस. सी. सी पेज 233)

'10 :-एक बार जब दोषमुक्ति किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवायी करते समय उच्च न्यायालय को फिर से स्वंत्रत रूप से समग्र साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाल सकता है सामान्यतः उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश के अभिमत को महत्व देगा यदि उक्त अभिमत साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के बाद निकाला गया है। यह नियम वर्तमान मामले में

लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही सारवान और निर्णायक पहलू की एकदम गलत धारणा बनाई है।

19. एटली वी। यू. पी. राज्य [एटली वि. । उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1955 सी. 807: 1955 सी. आर. आई. एल. जे. 1653], इस न्यायालय ने इस रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है इसके अलावाः (एयर पीपी। 809-10, कंडिका 5)

'5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय दोषमुक्ति करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के केवल मूल्यांकन पर इसे तब तक अपास्त नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि विचारण न्यायालय के न्यायाधीश का निर्णय विपर्यस्त था। हमारी राय में यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि अपील के तहत दोषमुक्ति करने का निर्णय विपर्यस्त था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती थी।

इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता है कि अपील पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य का पुनर्विलोकन करे तथा यह विचार करते हुए कि, आरोपी की निर्दोषता की उपधारणा कमजोर न होकर विचारण न्यायालय, जिसके समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध होते हुए जिसे साक्षी की भाव भंगिमा को देखने का अवसर था, द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से और बलवती हो जाती है, अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे।

यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर साक्ष्य के मूल्याङ्कन के सम्बन्ध में दोष्सिधि के विरुद्ध अपील के समान विस्तृत शक्तियां इस बंधन के अध्यधीन प्राप्त है की निर्दोषिता की उप्धारना विचरण के प्रारंभ से लेकर अपील के स्टार तक बनी रहती है तथा अपीलीय न्यायालय विचरण न्यायालय के दोषमुक्ति करने वाले अभिमत को महता देनी चाहिए।

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुचती है, तो निर्णय को

दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार की ओर से उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह वि. राज्य [सूरजपाल सिंह वि. राज्य, 1951 एससीसी 1207]; विलायत खान वि. यू. पी. राज्य [विलायत खान वि. उत्तर प्रदेश राज्य, 1951 एस. सी. सी. 898]) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय समग्र साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं था।

20. के. गोपाल रेड्डी वि. एपी राज्य [के. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य,(1979) 1 एससीसी 355: 1979 एससीसी (क्रिमिनल) 305], इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि जब विचरण न्यायालय स्वयं को काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ विश्वसनीय साक्ष्य को तुच्छ कारणों के लिए अस्वीकार कर साक्ष्य के सम्बन्ध में ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो बहुत असम्भाव्य है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय का शासन हास्यप्रद बन कर रह जाये। ”

7. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में अवधारित विधि को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश को ध्यान में रखते हुए हम आलोच्य निर्णय एवं आदेश को स्थिर होना नहीं पाते है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गलत है क्योंकि उसने स्थापित विधि पर विचार नहीं किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर न तो विचार किया और/अथवा न ही पुनर्मूल्यांकन किया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने परीक्षित साक्षी के अभिसाक्ष्य पर सतही तौर से विचार किया हैं। किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया जिसे उच्च न्यायालय को, प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में मात्र उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश को अभिखंडित योग्य होते हुए अपास्त किया जाता है और इसे उच्च न्यायालय को, उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपील को विधि अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

8. उपरोक्तानुसार और उपर्युक्त कारणों के आधार पर और प्रकरण के गुण-दोष पर टीपा टिपण्णी न करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है आपराधिक अपील क्रमांक 2356/2019 में पारित आलोच्य निर्णय एवं आदेश अभिखंडित होते हुए अपास्त किया जाता

है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को उसकी मूल नंबर में पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। उच्च न्यायालय, उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपील को विधि अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णित करे।उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र गुण-दोष के आधार पर अपील में निर्णय करते हुए उसका निराकरण करे।

अपील स्वीकार की गयी।

ANIL KUMAR

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.10.12 11:32:45 +0530

अनिल कुमार